[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 33/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितंबर, 2020

सा.का. नि.   (अ)- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 258 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द "एम.फीचर" के स्थान पर शब्द "पेपर आधारित टैगन्ट, एम.फीचर समेत," प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. 354/100/2020-टीआरयू]

(जे.एस. कंधारी)

उप सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना सख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 32/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 07 अगस्त, 2020, जिसे सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 07 अगस्त, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया है, के द्वारा संशोधन किया गया था।